भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 4712

दिनांक 21 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

तेलंगाना में कोयला आधारित विद्युत संयंत्र

†4712. श्री अरविंद धर्मापुरीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तेलंगाना में कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा क्या है और इनमें से प्रत्येक विद्युत संयंत्र की परिचालन क्षमता कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने कोयला संचालित विद्युत संयंत्रों के लिए भारत में पारदर्शी रूप से कोयला (कोल) दोहन और आवंटन योजना (शक्ति) को संशोधित किया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह तेलंगाना में कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों को कोयला उपलब्धता में किस प्रकार सहायता करेगा; और

(घ) क्या सरकार ने संशोधित शक्ति योजना के कार्यान्वयन के बाद तेलंगाना में इन कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों की क्षमता में संभावित वृद्धि का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : तेलंगाना में कोयला आधारित विद्युत संयंत्र तथा प्रत्येक विद्युत संयंत्र की परिचालन क्षमता का विवरण निम्नवत है:

क्र.सं.	**परियोजना का नाम**	**संगठन**	**क्षेत्र**	**संस्थापित क्षमता (मेगावाट में)**
1.	रामागुंडम एसटीपीएस*	एनटीपीसी लिमिटेड	केन्द्रीय क्षेत्र	2,600
2.	तेलंगाना एसटीपीपी फेज-1			1,600
3.	सिंगरेनी टीपीपी**	एससीसीएल	राज्य क्षेत्र	1,200
4.	भद्राद्री टीपीपी	टीजीजेनको		1,080
5.	काकतीय टीपीएस*			1,100
6.	कोठागुडेम टीपीएस (नया)			1,000
7.	कोठागुडेम टीपीएस (स्टेज-7)			800
8.	रामागुंडम-बी टीपीएस			62.5
9.	यादाद्री टीपीएस			1,600
कुल योग				**11,042.5**

टिप्पणी: *एसटीपीएस/टीपीएस - सुपर थर्मल पावर स्टेशन, **टीपीपी - थर्मल पावर प्लांट।

(ख) और (ग) : सरकार ने दिनांक 07.05.2025 को "भारत में कोयला के पारदर्शी दोहन और आवंटन हेतु संशोधित स्कीम (शक्ति) नीति" [संशोधित शक्ति नीति, 2025] को मंजूरी दी है। संशोधित शक्ति नीति, 2025 कोयला मंत्रालय द्वारा दिनांक 20.05.2025 को जारी की गई है। तेलंगाना सहित देश के किसी भी राज्य में स्थित विद्युत संयंत्र, (चालू/निर्माणाधीन/योजनाधीन) नीति में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार संशोधित शक्ति नीति, 2025 के तहत कोयला लिंकेज के लिए पात्र हैं। संशोधित शक्ति नीति, 2025 के प्रावधान विद्युत क्षेत्र को सरल तरीके से घरेलू कोयला लिंकेज की बढ़ी हुई उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। यह नीति विद्युत क्षेत्र के लिए पूर्ववर्ती कोयला लिंकेज आवंटन नीति के दायरे को बढ़ाती है, जिसमें अधिक अनुकूलन, व्यापक पात्रता और कोयले तक बेहतर पहुँच प्रदान की गई है।

(घ) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार, देश में विद्युत संयंत्र की स्थापना एक लाइसेंस मुक्त गतिविधि है। कोई भी उत्पादन कंपनी विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत बिना लाइसेंस के उत्पादन केंद्र स्थापित, संचालित और अनुरक्षित कर सकती है, बशर्ते वह ग्रिड से कनेक्टिविटी से संबंधित तकनीकी मानकों का अनुपालन करती हो। किसी राज्य में विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन क्षमता की उपलब्धता संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आती है।

विद्युत संयंत्र संशोधित शक्ति नीति, 2025 के अंतर्गत दीर्घकालिक/अल्पकालिक मांग के अपने आकलन के अनुसार आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोयला लिंकेज प्राप्त कर सकते हैं।

****